

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी:—रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:—349/2022

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या:— 88 आरटीए

1. भूप सिंह पुत्र देवी लाल जाति जाट निवासी नूकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
2. ओमप्रकाश पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी नूकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
— वादी

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
2. रामप्यारी पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
3. हरिराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
4. दौलतराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
5. अशोक कुमार पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
6. अमन कुमार पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
7. नवीन कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
8. पूजा पुत्र रमेश कुमार जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
9. प्रेम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
10. प्रमेश्वरी पत्नी रमेश कुमार जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
11. मोनिका पुत्री रमेश कुमार जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
12. सरस्वती देवी पत्नी सुलतान जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
13. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।



प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री नरेश मण्डा — वादी
2. श्री संजय धारणिया — प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5 ता 12
3. राजपैरोकार

निर्णय दिनांक 03.02.2023

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वाद व प्रतिवादी सं. 1 ता 2 आपस में संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। प्रतिवादी सं. 1 ता 2 वादीगण पिता व माता हैं। तथा प्रतिवादी 3 ता 12 सहकाश्तकार हैं। प्रतिवादी 13 भूधारक राज सरकार हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी अपनी कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक तरीके से निर्विवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं कब्जा काश्त बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है।

यह कि वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 एएमपी जमाबंदी संवत् 2072-75 में वादी सं. 1 के नाम से खाता सं. 104/4 में 379/5566 हिस्सा खाता संत्र 144/123 में 379/1898 हिस्सा भूमि दर्ज रिकार्ड है। व वादी सं. 2 के नाम से खाता सं. 144/123 में 1594/5566 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से इसी चक के खाता सं. 104/4 में 1113/5566 हिस्सा, वादीगण की माता प्रतिवादी सं. 2 के नाम से इसी चक के खाता सं. 144/123 में 253/1898 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड उक्त समस्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है उक्त रकबा वादीगण के कब्जा काश्त में है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के साथ कृषि भूमि का घरुविभाजन अच्छी मंती के अनुसार कर रखा है। व अपनी कृषि भूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से निर्विवाद रूप से से काश्त करते चले आ रहे हैं कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। तथा वादीगण संयुक्त परिवार की चक 3 एएमपी खाता सं. 104/4 में वादी सं. 1 का 1.418 है। व वादी सं. 2 का 1.925 है। व खाता सं.

144/123 में वादी सं. 1 का 0.317 है. व वादी सं. 2 का 0.316 है. कृषि का कब्जा काश्त है। घरु विभाजन अनुसार वादीगण को प्राप्त कृषि भूमि इस प्रकार से है—

चक 3 एएमपी

(क) खाता सं. 104/4 वादी सं. 1 भूपसिंह पुत्र देवीलाल का 1.418 है0 वादी सं. 2 ओमप्रकाश पुत्र देवीलाल का 1.925 हे. का कब्जा काश्त व हक हिस्सा

प.न.	मु.न.	किला न
159/136	24	11/0.253, 12/0.253, 13/0.093, 16ता20/0.253है.प्र 21/1/0.126, 22/0.253, 23/0.253 है
160/136	23	10/2/0.127, 11/0.253
164/139	74	4/1/0.102, 4/2/0.010 गैमु रास्ता, 7/0.102, 5/1/0.228, 5/2/0.025 गैमु रास्ता।

(ख) खाता सं. 144/123 वादी सं. 1 भूपसिंह पुत्र देवीलाल का 0.317 है0 वादी सं. 2 ओमप्रकाश पुत्र देवीलाल का 0.316 है. का कब्जा काश्त व हक हिस्सा

प.न.	मु.न.	किला न
159/136	24	21/2/0.127, 24/0.253, 25/0.253 है.

यह है कि वादीगण चक 3 एएमपी की जमाबंदी संवत 2072-75 के खाता सं. 104/4 में वादी सं. 1 का 1.039 है0 व वादी सं. 2 का 0.331 है0 हिस्सा बढ़ाया जावे व इसी चक के खाता सं. 144/123 में वादी सं. 2 का 0.316 है0 हिस्सा बढ़ाया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें व प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 का नाम कलमजन करवाने के व खाता सं. 144/123 में वादी सं. 1 का 0.062 है. हिस्सा कम करवाने के वादीगण अधिकारी व दावेदार है।

यह कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से उन्हे वाद पत्र की चरण सं. 4 खण्ड क व ख व चरण 5 में वर्णित तथ्य अनुसार कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता तकसीम करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे परन्तु कल उन्होने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया, बस यही वाद कारण है।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5 ता 12 की ओर से राजीनामा पेश किया और निवेदन कि राजीनामा अनुसार वादी वाद डिक्री किया जाता है तो कोई उज्र एतराज नहीं है पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 4 की तामिल जरिये समाचार पत्र करवाई गई हाजिर नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 13 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। वादी ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया व प्रतिवादी सं 4 की द्वारा किया बैयनामा दस्तावेज की प्रति पेश की गई। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करना चाहते है। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस वकील वादीगण एवं प्रतिवादी 1 ता 3, 5 ता 12 सुनी गई। कब्जा काश्त या अन्य कोई विवाद प्रतीत नहीं होता है। प्रश्नगत आराजी पर वादीगण पूर्व से घरु बंटवारे के मुताबिक काबिज है न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद नहीं है अतः तनकीयात की भी आवश्यकता नहीं है। वादीगण मुताबिक राजीनामा अनुसार घोषणात्मक डिक्री करवाने के अधिकारी है। वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा अंतिम डिक्री किया जाता है कि चक 3 एएमपी खाता सं. 104/4 वादी सं. 1 भूपसिंह पुत्र देवीलाल का 1.416 है0 वादी सं. 2 ओमप्रकाश पुत्र देवीलाल का 1.923 है. का कब्जा काश्त व हक हिस्सा कृषि भूमि—

प.न.	मु.न.	किला न
159/136	24	11/0.253, 12/0.253, 13/0.093, 16ता20/0.253है.प्र



21/1/0.126, 22/0.253, 23/0.253 है।
160/136 23 10/2/0.127, 11/0.253
164/139 74 4/1/0.095, 4/2/0.010 गैमु रास्ता, 7/0.105 है.,
5/1/0.228, 5/2/0.025 गैमु रास्ता।

सोट मु.न. 74 किला न. 4/1/0.095 किला न. 5 के चिपते होगा व किला न. 7/0.105
किला की पूर्वी दिशा में

(ख) खाता सं. 144/123 वादी सं. 1 भूपसिंह पुत्र देवीलाल का 0.317 है0 वादी सं. 2
ओमप्रकाश पुत्र देवीलाल का 0.316 है. का कब्जा काश्त व हक हिस्सा की कृषि भूमि
प.न. मु.न. किला न

159/136 24 21/2/0.127, 24/0.253, 25/0.253 है.

प्रतिवादीगण को प्राप्त कृषि भूमि खाता सं. 104/4 प्रतिवादी सं. 3 हरिराम 1.113 है,
प्रतिवादी सं. 5 अशोक कुमार 0.557 है0, प्रतिवादी सं. 6 अमन कुमार 0.557 है. पुत्रगण हरिराम के
कब्जा काश्त व हक हिस्सा कृषि भूमि—

प.न. मु.न. किला न

159/136 24 6ता10/0.253 है.प्र 13/0.160, 14-15/0.253 है.प्र

164/139 74 4/1/0.133 किला की पश्चिम दिशा, 4/2/0.015 गै.मु.

गैमु

रास्ता, 7/0.148 किला की पश्चिम दिशा

खाता सं. 144/123 प्रतिवादी सं. 7 नवीन कुमार पुत्र रमेश कुमार 0.285 है. प्रतिवादी सं.
10 परमेश्वरी देवी पत्नी रमेश कुमार 0.284 है. बहिब प्रतिवादी सं. 7 प्रेमचंद पुत्र सुलतान राम 0.
316 है. प्रतिवादी सं. 12 सरबतीदेवी पत्नी सुलतान राम 0.380 है. के कब्जा काश्त व हक हिस्सा
कृषि भूमि—

159/137 32 1 ता 4/0.253 है.प्र, 5/1/0.228 है 5/2/0.025 है.

चक 3 एएमपी के खाता सं. 144/123 में प्रतिवादी सं 9 का नाम प्रेम पुत्र सुलतान व
प्रतिवादी सं. 12 का नाम सरस्वतीदेवी पत्नी सुलतान दुरुस्त कर प्रेमचंद पुत्र सुलतान राम व
सरबतीदेवी पत्नी सुलतान राम करने के आदेश दिये जाते है।

राजीनामा में चक 3 एएमपी के खाता सं. 104/4 में वादी सं. 1 को 1.037 है. का खातेदार
काश्तकार वादी सं. 2 को 0.329 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 4 का
नाम कलमजन किया जावे। इसी चक के खाता सं. 144/123 में वादी सं. 2 को 0.316 है0 का
खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं. 7 को 0.251 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
वादी सं. 1 का 0.062 है0 व प्रतिवादी सं. 10 का 0.184 है. हिस्सा कम किया जावे, प्रतिवादी सं. 2,
8, 11 का नाम कलमजन किया जावे। रकम राज अलग से कायम हो। वाद पत्र पर्चा डिक्री अलग
से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान
अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर
खुले इजलास सुनाया गया।

नोट:— उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार
राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया



डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:—रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:— 349 / 2022

1. भूप सिंह पुत्र देवी लाल जाति जाट निवासी नूकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
2. ओमप्रकाश पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी नूकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
— वादी

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
2. रामप्यारी पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
3. हरिराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
4. दौलतराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
5. अशोक कुमार पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
6. अमन कुमार पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
7. नवीन कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
8. पूजा पुत्र रमेश कुमार जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
9. प्रेम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
10. प्रमेश्वरी पत्नी रमेश कुमार जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
11. मोनिका पुत्री रमेश कुमार जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
12. सरस्वती देवी पत्नी सुलतान जाति जाट निवासी नूकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
13. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादीगण मिन जाकिन मुदई श्री संजय धारणियां वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:— चक 3 एएमपी खाता सं. 104/4 वादी सं. 1 भूपसिंह पुत्र देवीलाल का 1.416 है0 वादी सं. 2 ओमप्रकाश पुत्र देवीलाल का 1.923 है. का कब्जा काश्त व हक हिस्सा कृषि भूमि—

प.न.	मु.न.	किला न
159 / 136	24	11 / 0.253, 12 / 0.253, 13 / 0.093, 16ता20 / 0.253 है. प्र 21 / 1 / 0.126, 22 / 0.253, 23 / 0.253 है.
160 / 136	23	10 / 2 / 0.127, 11 / 0.253
164 / 139	74	4 / 1 / 0.095, 4 / 2 / 0.010 गैमु रास्ता, 7 / 0.105, 5 / 1 / 0.228, 5 / 2 / 0.025 गैमु रास्ता।

नोट मु.न. 74 किला न. 4 / 1 / 0.095 किला न. 5 के चिपते होगा व किला न. 7 / 0.105 किला की पूर्वी दिशा में

(ख) खाता सं. 144 / 123 वादी सं. 1 भूपसिंह पुत्र देवीलाल का 0.317 है0 वादी सं. 2 ओमप्रकाश पुत्र देवीलाल का 0.316 है. का कब्जा काश्त व हक हिस्सा की कृषि

प.न.	मु.न.	किला न
159 / 136	24	21 / 2 / 0.127, 24 / 0.253, 25 / 0.253 है.

प्रतिवादीगण को प्राप्त कृषि भूमि खाता सं. 104/4 प्रतिवादी सं. 3 हरिराम 1.113 है, प्रतिवादी सं. 5 अशोक कुमार 0.557 है, प्रतिवादी सं. 6 अमन कुमार 0.557 है. पुत्रगण हरिराम के कब्जा काश्त व हक हिस्सा कृषि भूमि—

प.न.	मु.न.	किला न
159/136	24	6ता10/0.253 है. प्र 13/0.160, 14-15/0.253 है. प्र
164/139	74	4/1/0.133 किला की पश्चिम दिशा, 4/2/0.015 गै.

मु.

रास्ता, 7/0.148 किला की पश्चिम दिशा

खाता सं. 144/123 प्रतिवादी सं. 7 नवीन कुमार पुत्र रमेश कुमार 0.285 है. प्रतिवादी सं. 10 परमेश्वरी देवी पत्नी रमेश कुमार 0.284 है. बहिब प्रतिवादी सं. 7 प्रेमचंद पुत्र सुलतान राम 0.316 है. प्रतिवादी सं. 12 सरबतीदेवी पत्नी सुलतान राम 0.380 है. के कब्जा काश्त व हक हिस्सा कृषि भूमि—

159/137 32 1 ता 4/0.253 है. प्र, 5/1/0.228 है 5/2/0.025 है. के उक्तानुसार राजीनामा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व इसी अनुसार खाता अलग कर रकम राज अलग कायमी की जावे। खाता सं. 104/4 में वादी सं. भूपसिंह को 1.037 है. व वादी सं. 2 ओमप्रकाश को 0.329 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी खाते से प्रतिवादी सं. 1 देवीलाल व प्रति सं. 4 दौलतराम का नाम कलमजन किया जावे। खाता सं 144/123 में वादी सं. 2 ओमप्रकाश को 0.316 है. व प्रति सं. 7 नवीन कुमार को 0.251 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी सं. 1 का 0.062 है. हिस्सा व प्रति सं. 10 का 0.184 है. हिस्सा कम करने के आदेश दिये जाते है। प्रति सं. 2 रामप्यारी, प्रति सं. 8 पूजा, प्रति सं. 11 मोनिका का नाम कलमजन किया जावे। राजीनामा डिक्री का जूज रहेगा। चक 3 एएमपी के खाता सं. 144/123 में प्रतिवादी सं 9 का नाम प्रेम पुत्र सुलतान व प्रतिवादी सं. 12 का नाम सरस्वतीदेवी पत्नी सुलतान दर्ज रिकार्ड को दुरुस्त कर प्रेमचंद पुत्र सुलतान राम व सरबतीदेवी पत्नी सुलतान राम करने के आदेश दिये जाते है।

नोट:— उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

निज.....x.....नल.....x.....मुब्लिक.....x.....निल.....x.....बाबत्.....x.....निल.....x.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....x.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 03.02.2023 को जारी किया गया।



(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया